उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1
संख्याःदस–55–2017(111) दिनांकःमई 01 – 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली–2016 में निहत निर्देशों के अनुसार अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड व्दारा निम्नलिखित आरक्षी घुडसवार पुलिस को मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 व्दारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्त के जनपद पर ही मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

क0 सं0	पीएनओ नं0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	परिक्षेत्र/इकाई का नाम	चयन वर्ष
1	792418713	अमर सिंह	भुन्डा सिंह	मथुरा	कानपुर नगर	2016
2	792462462	बनारसी सिंहयादव	छविनाथ सिंह	वाराणसी	लखनऊ	
3	792462475	भोनूराम यादव	राम नरेश यादव	वाराणसी	लखनऊ	
4	792320834	हरेराम यादव	विशनी यादव	बलिया	इलाहाबाद	
5	802462567	विजय कुमार सिंह	रामपाल सिंह	गोण्डा	फैजाबाद	
6	812463563	विमलेश कुमार	महादेव प्रसाद	कानपुर	लखनऊ	
7	812764435	हरिनन्दन राम	राम एकबाल साहू	बलिया	वाराणसी	
8	812512757	वीरेन्द्र कुमार	महेन्द्र सिंह	बागपत	मेरठ	
9	812121795	धनपाल सिंह	बदन सिंह	बदायूं	बरेली	
10	812014501	विजेन्द्र सिंह	बेनीराम	हाथरस	आगरा	
11	812321469	मुहम्मद हनीफ अंसारी	समीउल्ला अंसारी	बलिया	फैजाबाद	
12	822120421	अनवार खां	कन्हैया लाल	आगरा	लखलऊ	
13	822413750	भूदेव सिंह	राम औतार	कानपुर देहात	इलाहाबाद	
14	822463090	रमा शंकर राय	राज किशोर राय	गाजीपुर	कानपुर नगर	
15	822031855	विजय शंकर राय	राम निवाजी राय	गाजीपुर	कानपुर नगर	

2– पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगें एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें जिसे सेवा नियमावली–2016 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी व्दारा आगे बढाया जा सकेगा।सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगें। पदोन्नति पाये कर्मी के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि सथानान्रण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 व्दारा अलग से आदेश पारित किये जायेंगें

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी घुडसवार पुलिस से संलग्न प्रारूप–'क' में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिनिश्चत किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–5–97 के खण्ड–2 में दी गयी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है(ख) यदि कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा(ग)यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, आरक्षी घुडसवार पुलिस उपरोक्त के विरूद्व विद्यमान नही हो।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपर्युक्त प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नही हैं तो उपरोक्त आरक्षी घुडसवार पुलिस को मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षसरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रसतर—3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती हैं तो उक्त आरक्षी घुडसवार पुलिस के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन नही कराया जायेगा तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित आरक्षी घुडसवार पुलिस व्दारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई व्दारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके व्दारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/ अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगें।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.inमेंpolliceUnits-PoliceHqrs-PHQCirculars [subjects]-Armed Police. Establishment पर प्रदर्शित है।

संलग्नकः— प्रारूप—'क'

4

(सत्यार्थ अनिरूद्व पंकज)
पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद

प्रतिलिपि निम्निलिलिखत को कुपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

2— अपर पुलिस महानिदेशक, जोन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, बरेली, आगरा।

3— पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद वाराणसी, मेरठ, बरेली, आगरा।

4— वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,कानपुर नगर/लखनऊ /इलाहाबाद /फैजाबाद/वाराणसी /मेरठ /बरेली/आगरा।

5— प्रतिलिपि निलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।

2— पुलिस उप महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ।

3— पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त आदेश एवं प्रारूप (क) की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रारूप—"क"

स्वघोषणा—पत्र

मैं,————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ————————निवासी———————————थाना——————जनपद—————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)———————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:—

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(ख) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2— उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3— यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:—

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ———————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:—————— को आरोप—पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0—————— धारा——————थाना —————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:——————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:—स्वघोषणा—पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।